12/11/2022 प्रकरण आज दिनांक को आयोजित नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक 25 में सुनवाई में लिया गया।

परिवादी की ओर से श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता व्ही.सी. रिमोट पाइंट पर उपस्थित।

अभियुक्त अनुपस्थित।

प्रकरण आरोपी की उपस्थिति/लोकअदालत में राजीनामा हेतु नियत है।

परिवादी की ओर से श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ने एक आवेदन अंतर्गत धारा 147 दं.प्र.सं. इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादी तथा अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो गया है इसलिए वह परिवाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि परिवाद की राशि आरोपी के द्वारा जमा कर दी गई है। अतः प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त पर धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध का अभियोग है। परिवादी ने मामले को निराकृत कर उभयपक्ष के मध्य आपसी वैमनस्यता, विद्वेष समाप्त कर मधुर संबंध स्थापित करने की पहल की है।

अतः उभयपक्ष के मध्य हुये राजीनामा के आलोक में परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर अभियुक्त अब्दुल हमीद को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध से **दोषमुक्त** कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण का निराकरण लोक अदालत में होने से परिवादी अदा की गयी न्यायालय शुल्क वापस प्राप्त करने का अधिकारी है, इसलिये उसे इस बाबत् प्रमाण पत्र दिया जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज किया जाकर सी. आई.एस. सॉफ्टवेयर में अपलोड कर प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

सदस्य	**पीठासीन अधिकारी**
श्री अतुल श्रीवास्तव	अतुल यादव
अधिवक्ता	न्या.मजि.प्रथम श्रेणी,
	सिलवानी जिला रायसेन म.प्र.